

प्रेस नोट दिनांक 12.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना फतनपुर पुलिस द्वारा कुल 01 कि ग्रा0 120 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री का कुल 410 रू0 के साथ 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्ता को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत तारडीह प्राइमरी स्कूल से आगे पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना फतनपुर के उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह हेड कांस्टेबल आरिफ खान, आरक्षी सुजीत यादव, महिला आरक्षी ज्योति यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत तारडीह प्राइमरी स्कूल से आगे पुलिया के पास से से 01 अभियुक्ता रुबीना पत्नी मो0 अकरम उम्र करीब 45 वर्ष निवासिनी ग्राम अवधानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को कुल 01 कि ग्रा0 120 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री का कुल 410 रू0 के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0सं0-81/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

01- रुबीना पत्नी मो0 अकरम उम्र करीब 45 वर्ष निवासिनी ग्राम अवधानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 कि ग्रा0 120 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री का कुल 410 रू0 बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह हेड कांस्टेबल आरिफ खान, आरक्षी सुजीत यादव, महिला आरक्षी ज्योति यादव थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

प्रेस नोट दिनांक 12.04.2026

थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 04 अदद अवैध देशी बम व 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट व 01 अदद शीज शुदा पल्सर मोटर साइकिल, 03 अदद एण्ड्रायड मोबाइल के साथ 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत आवले की बगिया के बास नहर पटरी वहद ग्राम बरासराय से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशांत राज के कुशल पर्वेक्षण व थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय नेतृत्व में थाना कोहंडौर के उ0नि0 जनार्दन प्रताप सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रतीक सिंह, का0 मनीष यादव, कां० पुष्पेन्द्र यादव तथा कां0 अवधेश यादव, चालक हे0 कां0 अनिल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 04 अभियुक्तों, 1. नीरज यादव पुत्र विजय प्रकाश यादव निवासी ग्राम सिकरी कानपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, 2. अभिषेक गौतम उर्फ शेखर पुत्र स्व0 सोनई निवासी ग्राम सांगापुर थाना रामगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 27 वर्ष, 3.

शुभम गौतम पुत्र कन्हैया लाल गौतम निवासी ग्राम पड़री चन्दुआडीह थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, 4.अंश मौर्य पुत्र रंजीत मौर्य निवासी सराय रजई थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 17 वर्ष को 04 अदद अवैध देशी बम व 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट व 01 अदद शीज शुदा पल्सर मोटर साइकिल, 03 अदद एण्ड्रायड मोबाइल के साथ थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत आवले की बगिया के बास नहर पटरी वहद ग्राम बरासराय से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के पास से 04 अदद अवैध देशी बम व 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट व 01 अदद शीज शुदा पल्सर मोटर साइकिल, 03 अदद एण्ड्रायड मोबाइल की बरामदगी के संबंध में थाना कोहंडौर में मु0अ0सं0 69/2026 धारा 317 (2)/318(2)/338/3(5) बीएनएस व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

थाना रामगंज जनपद अमेठी-

उक्त वाहन के बारे में चोरी होने के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो उनके द्वारा कुछ देर बाद अभिलेखो का अवलोकन कराने के उपरान्त बताया गया कि यह हमारे थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी जिसके सम्बन्ध में हमारे थाना रामगंज जनपद अमेठी में मु0अ0सं0 132/2025 धारा 303 (2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण-

तत्पश्चात चारो व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो चारो ने बताया कि हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते व पहचानते है। हम लोग राहगीरो से सुनसान स्थान पर मोटर साइकिल आदि रोककर बम दिखाकर उन्हे डरा धमकाकर उनके पास से मोबाइल व पैसे छीन लेते है और उस पैसे को हम लोग अपने निजी खर्च व शौक में व्यय करते है। इसीलिए हम लोग अपने साथ में यह बम रखते है। आज भी हम लोग राहगीरो से छिनैती करने के लिए सुनसान स्थान की तलाश में थे कि आप लोगो ने हम लोगो को पकड़ लिया।।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. नीरज यादव पुत्र विजय प्रकाश यादव निवासी ग्राम सिकरी कानूपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।
2. अभिषेक गौतम उर्फ शेखर पुत्र स्व0 सोनई निवासी ग्राम सांगापुर थाना रामगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 27 वर्ष।
3. शुभम गौतम पुत्र कन्हैया लाल गौतम निवासी ग्राम पड़री चन्दुआडीह थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।
4. अंश मौर्य पुत्र रंजीत मौर्य निवासी सराय रजई थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 17 वर्ष।

बरामदगी-

04 अदद अवैध देशी बम, 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट, 01 अदद शीज शुदा पल्सर मोटर साइकिल व 03 अदद एण्ड्रायड मोबाइल बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 जनार्दन प्रताप सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रतीक सिंह, का0 मनीष यादव, कां० पुष्पेन्द्र यादव तथा कां0 अवधेश यादव, चालक हे0 कां0 अनिल यादव थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 12.04.2026

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पाँक्सों एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अखिल मिश्रा उर्फ ज्ञानप्रकाश मिश्रा को किया गया गिरफ्तार-

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत NSG होटल के पास पुल से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष देल्हूपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 संदीप तिवारी मय हमराह का0 विनय पटेल व का0 अनीश गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64(2)m/137(2)/87/127(2)/115(2)बी0एन0एस0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अखिल मिश्रा उर्फ ज्ञानप्रकाश मिश्रा पुत्र हरिनाथ मिश्रा निवासी सहेरुआ थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत NSG होटल के पास पुल से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अखिल मिश्रा उर्फ ज्ञानप्रकाश मिश्रा पुत्र हरिनाथ मिश्रा निवासी सहेरुआ थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 संदीप तिवारी मय हमराह का0 विनय पटेल व का0 अनीश गुप्ता थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 12.04.2026

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लीलापुर के उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह हे0का0 अमित कुमार यादव, का0 अनिल यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर केश नं0 2208/21 मु0अ0स0 32/000 धारा 323/504/506/352 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी महेशपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 42 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रमेश कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी महेशपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 42 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह हे0का0 अमित कुमार यादव, का0 अनिल यादव थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 12.04.2026

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा कुल 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 अखिलेश सिंह मय हमराह का0 शिवशंकर यादव, का0 विजय यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान,

माननीय न्यायालय एफटीसी द्वितीय महोदय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत एनबीडब्लू मु0न0 8936/21 धारा 452/323/504/506/427 भावि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 02 वारंटी अभियुक्तों, 1. रामकेवल यादव पुत्र रामराज यादव निवासी ग्राम बीबीपुर मुस्तक थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष, 2. नन्दलाल यादव पुत्र रामकेवल यादव निवासी ग्राम बीबीपुर मुस्तक थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी एफटीसी द्वितीय महोदय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत एनबीडब्लू मु0न0 14952/22 व मु0अ0सं0 123/21 धारा 147/148/149/323/506/354(ख) भावि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 अभियुक्त छोटेलाल पुत्र राजदेव निवासी ग्राम सैलखा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. रामकेवल यादव पुत्र रामराज यादव निवासी ग्राम बीबीपुर मुस्तक थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
02. नन्दलाल यादव पुत्र रामकेवल यादव निवासी ग्राम बीबीपुर मुस्तक थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
03. छोटेलाल पुत्र राजदेव निवासी ग्राम सैलखा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ0नि0 अखिलेश सिंह मय हमराह का0 शिवशंकर यादव,का0 विजय यादव थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 12.04.2026

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत भाव चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।

दिनांक 26.12.2025 को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धारुपुर में दो पक्षों के बीच जमीन/दीवार निर्माण को लेकर विवाद हो गया। जिसमें दीवार निर्माण का विरोध करने पर दोनों पक्षों में गाली-गलौज, मारपीट हो गई। एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके संबंध में थाना बाघराय पर मु0अ0सं0 294/25 धारा 191 (2)/115(2)/392/391 (3)/109 (1)/324 (5)/117 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष श्रवण कुमार मय हमराह का० अनिल कुमार, का० शीशपाल सिंह, हे० का० राजाराम सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 294/25 धारा 191 (2)/115(2)/392/391 (3)/109 (1)/324 (5) /117 (2) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अर्जुन सरोज पुत्र राम टहल निवासी ग्राम धारुपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत भाव चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

01. अर्जुन सरोज पुत्र राम टहल निवासी ग्राम धारुपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष श्रवण कुमार मय हमराह का० अनिल कुमार व का० शीशपाल सिंह, हे० का० राजाराम सिंह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 12.04.2026

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा कुल 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी के उ०नि० सरनाम सिंह मय हमराह उ०नि० रोहित यादव, का० हरिकेश पाल, का० केहरी सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान,

माननीय न्यायालय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत एनबीडब्लू मु०अ०सं० 383/2011 धारा 376/323/511/506 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त रामजियावन उर्फ नेता पुत्र श्री रामबली निषाद उर्फ खिवई उम्र करीब 24 वर्ष नि० ग्राम लवेदा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

माननीय न्यायालय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत एनबीडब्लू मु०अ०सं० 380/2021 धारा 3(1)(R)/3(1) (5)/3(2) (VA) SC/ST Act थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों, 01. अलगू पुत्र

स्व० भुलई उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम भुसहर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़, 02. .शीतला प्रसाद पुत्र स्व० भुलई उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम भुसहर थाना पट्टी प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. रामजियावन उर्फ नेता पुत्र श्री रामबली निषाद उर्फ खिवई उम्र करीब 24 वर्ष नि० ग्राम लवेदा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
02. अलगू पुत्र स्व० भुलई उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम भुसहर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
03. शीतला प्रसाद पुत्र स्व० भुलई उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम भुसहर थाना पट्टी प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० सरनाम सिंह मय हमराह उ०नि० रोहित यादव, का० हरिकेश पाल, का० केहरी सिंह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 12.04.2026

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

एसटीएफ यूनिट कानपुर द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 50000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त परमेश कुमार पटेल को किया गया गिरफ्तार -

एसटीएफ यूनिट कानपुर द्वारा ईनामिया अभियुक्त परमेश कुमार पटेल को बारा टोल प्लाजा जनपद कानपुर देहात के पास से गिरफ्तार किया गया।

इनामिया अभियुक्त परमेश कुमार पटेल पर रायबरेली, प्रतापगढ़ में हत्या, गैर इरादतन हत्या, लूट, धोखाधड़ी, सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान अधि० जैसे लगभग 06 गंभीर अपराध पंजीकृत है-

प्रतापगढ़

वादिनी निवासी ग्राम गहरू का पुरवा, मजरा अब्दुल वाहिदगंज, थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ की ननद उ (उम्र लगभग 55 वर्ष) जो विगत 7 वर्षों से उसके साथ रह रही थीं, का अपने सौतेले पुत्र से जमीनी विवाद चल रहा था। दिनांक 01.02.2026 को सायं लगभग 7 बजे कुछ अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर ननद के कमरे में पहुंचे तथा गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। शोर सुनकर वादिनी ने बाहर निकलने का प्रयास किया, परंतु दरवाजा बाहर से बंद था; पड़ोसियों द्वारा दरवाजा खोले जाने पर ननद मृत अवस्था में पाई गई। इस संबंध में मु०अ०सं०- 12 / 26 धारा- 333/ 103 (1)/ 61(2)A/ 3(5) BNS थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ बनाम कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

एसटीएफ यूनिट कानपुर के उ०नि० विनोद कुमार मय हमराह हे०का० देवेश द्विवेदी, हे०का० अशोक राजपूत, हे०का० अरविन्द सिंह, का० सत्यम यादव मय चालक शिवकुमार द्वारा मु०अ०सं०- 12 / 26 धारा- 333/ 103 (1)/ 61(2)A/ 3(5) BNS थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 50,000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त परमेश कुमार पटेल पुत्र स्व० नन्दन पटेल निवासी ग्राम औना सदर पोस्ट सलोन थाना सलोन जिला रायबरेली उम्र करीब 43 वर्ष को बारा टोल प्लाजा जनपद कानपुर देहात के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैं मु०अ०सं०-12/2026 धारा - 333/103(1) / 61(2)A/ 3(5) BNS थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ में वांछित अभियुक्त हूँ। मेरे अन्य साथी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। पुलिस मुझे ही खोज रही है। मैं लगातार फरार चल रहा था। आज भी मैं भागने की फिराक में ही था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

ईनामिया गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. परमेश कुमार पटेल पुत्र स्व० नन्दन पटेल निवासी ग्राम औना सदर पोस्ट सलोन थाना सलोन जिला रायबरेली उम्र करीब 43 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

01- ईनामिय परमेश कुमार पटेल पुत्र स्व० नन्दन पटेल निवासी ग्राम औना सदर पोस्ट सलोन थाना सलोन जिला रायबरेली उम्र करीब 43 वर्ष का आपराधित इतिहास-

01. मु०अ०स० 109/2017 धारा 419/420/427 भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान अधि० थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

02. मु०अ०स० 150/2017 धारा 427/447/504/506 भादवि थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

03. मु०अ०स० 395/2017 धारा 304/323 भादवि थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

04. मु०अ०स० 189/2020 धारा 147/188/427/504/506 भादवि थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

05. मु०अ०स० 568/2020 धारा 120 बी/147/323/336/352/427/504/506 भादवि व 7 आपराधिक कानून(संशोधन) अधि० 1932 थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

06. मु०अ०सं० 102/2017 धारा 504,506,427,389 भादवि थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

07. मु०अ०सं० 526/2017 धारा 452,323,504,506 भादवि थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

08. मु०अ०सं० 345/2016 धारा 147,148,149,323,452,342,386,394,419,420,467,468,471 भादवि थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

09. एनसीआर 129/09 धारा 352,504,506 भादवि थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

10. मु०अ०स० 12/2026 धारा 103(1)/3(5)/333/61(2)(a) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

एसटीएफ यूनिट कानपुर के 30नि0 विनोद कुमार मय हमराह हे0का0 देवेश द्विवेदी, हे0का0 अशोक राजपूत, हे0का0 अरविन्द सिंह, का0 सत्यम यादव मय चालक शिवकुमार ।